भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 171B/2017-18

विध्याधर महतो **बनाम** स्वाधीन महतो

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
21-03-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर के पत्रांक 1015 दिनांक 29.12.2017 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 157 B/2017—18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता विध्याधर महतो पिता अनन्त महतो, ग्राम—पहाड़पुर, थाना—राजनगर, जिला—सरायकेला—खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोध हेतु क्रेता स्वाधीन महतो पिता अभिलाष महतो, ग्राम—पहाड़पुर, थाना—राजनगर, जिला—सरायकेला—खरसावॉ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः—	

मौजा	**थाना न0**	**खाता न0**	**खेसरा न0**	**रकवा**
पहाड़पुर	78	50	179	25.6डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पितामह के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने पिता एवं पितामह के मृत्यु पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदक के पास 4.66½ एकड़ भूमि है जिसमें से 25.6 डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् 4.40.90 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 25.6डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

21/03/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner